कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – deanshahdol@gmail.com, Office No. :- 07652 - 243000
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Fax No. :- 07652 – 243222

क्रमांक/5372/स्था./एम.सी./2021 शहडोल, दिनांक 1/10/2021

विज्ञप्ति

संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/66/एन.एच.एम./एच. आर./2021 भोपाल, दिनांक 14.09.2021 में प्राप्त स्वीकृति अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में एन.एच.एम. के अंतर्गत संचालित होने वाले एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. वार्ड के लिए निम्न शर्तो के अधीन निम्नलिखित अस्थायी पदों पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2021, दिन–गुरूवार, सायं – 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. रिक्त पदों का विवरण :–

पदनाम :– स्टॉफ नर्स (केवल महिला)
सीधी भर्ती हेतु पद संख्या :– 30

Name of Post	UR	EWS	SC	ST	OBC	दिव्यांगजन
Staff Nurse	9	3	4	6	8	दिव्यांगजनों की कुल 02 पद रिक्तियों में से 02 पद शारीरिक विकलांगता निःशक्तजन के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

नोट :–

1. ओ.बी.सी. श्रेणी की नियुक्तियां राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए प्रावधिक रूप से की जा रही हैं। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भविष्य में परिवर्तित किया जा सकेगा।
2. दिव्यांगजन के अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी श्रेणी के पद का बिना वर्ग के अभ्यार्थियों से पदपूर्ति की जावेगी।

2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान :–

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यता)	मासिक मानदेय (NHM द्वारा निर्धारित)
1	स्टॉफ नर्स	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।	20,000/–

- **आवश्कतानुसार पदों की संख्य बढ़ाई या घटाई जा सकती है।**

- उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए की जा रही है।
- चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यार्थी को मासिक मानदेय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर देय होगा।
- आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा दिनांक दिनांक 21.10.2021, दिन-गुरूवार, सायं - 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
- आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार को राशि रू. 500/- तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन के उम्मीदवार को राशि रू. 300/- संस्था के नाम :- **New Govt. Medical College Shahdol Autonomous Society** खाता कमांक :- 3687727001, **IFSC Code :- CBIN0280787** **बैंक का नाम :- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट, आवश्यक रूप से संलग्न करें। जिन आवेदन पत्रों में डिमान्ड्र ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए जाने अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **WWW.GMCSHAHDOL.ORG** के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।
- म.प्र. के शासकीय/स्वशासी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के **SNCU/PICU** में कार्यरत् अभ्यार्थियों, एवं संविदा में 01 वर्ष से अधिक कार्यरत् अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी एवं उक्त का लाभ सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जावेगा।
- म.प्र. शासन द्वारा अधिकृत **DCHC/DCH** में (89 दिवस से अधिक कार्यरत्) कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जावेगी एवं उक्त का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जावेगा।
- शासकीय/स्वशासी चिकित्सा संस्थानों में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।
- वर्तमान में शासकीय/स्वशासी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों कार्यरत् अभ्यार्थियों को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

3. निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

➢ **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

➢ **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

➢ जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

➢ **कूट रचित/फर्जी दस्तावेज** एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

➢ **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

➢ ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

➢ **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

4. अन्य शर्तें :-

1.आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को पद के अनुरूप 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

2.निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

- सामान्य वर्ग के लिए :- 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए :- 45 वर्ष

समान्य निर्देश :-

1. ये पद पूर्णतः अस्थायी रूप से एन.एच.एम. के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए हैं। इसके आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा नहीं किया सकता है एवं ये पद अस्थानांतरणीय हैं। एन.एच.एम. से प्राप्त स्वीकृति पश्चात ही कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता आवेदन करते समय तक पूर्ण होना चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यार्थी के पास म.प्र. नर्सिंग काउंसिल का वैध/जीवित पंजीयन होना साथ ही योग्यताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक (बी.एस.सी./जी.एन.एम./एम.एस.सी. की डिग्री/डिप्लोमा के साथ-साथ समस्त वर्षों की अंकसूची की छायाप्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4. इस विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल को होगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :-

1. हाईस्कूल मार्कशीट
2. हायर सेकेण्डरी मार्कशीट
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.डब्लू.एस. का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
5. मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र।
7. पद हेतु निर्धारित आर्हता संबंधी डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र।
8. अनुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र।
9. नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह न होने एवं दिनांक 26.01.2001 के बाद 02 से अधिक जीवित संतान न होने का स्व-घोषित शपथ पत्र।
11. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र।
12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
13. आधार कार्ड/पेन कार्ड
14. मूल नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
15. अन्य अतिरिक्त कोई आवश्यक दस्तावेज हो तो।

__महत्वपूर्ण टीप :-__ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)